

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क्रमांक :- 56 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 11 / 02 / 2015)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. नरेन्द्र गुर्जर पुत्र भीकम गुर्जर उम्र 21 वर्ष

निवासी :- ग्राम सहरोली, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक : 21 / 11 / 2016 को घोषित)

01. अभियुक्त नरेन्द्र गुर्जर पर भा.द.सं. की धारा 354, 323 एवं 457 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक 12 / 11 / 14 को रात्रि लगभग 10:00 बजे फरियादिया गौनाबाई का नैवासिक भवन स्थित ग्राम सहरोली में, फरियादी गौनाबाई जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया, फरियादी गौनाबाई की मारपीट उसे स्वेच्छया उपहृतियाँ कारित की एवं फरियादी गौना के नैवासिक गृह में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 12 / 11 / 2014 को रात्रि लगभग 10:00 बजे फरियादिया गौनाबाई का घर स्थित ग्राम सहरोली में, आरोपी नरेन्द्र द्वारा फरियादी गौनाबाई के घर में प्रवेश करने, उसका बुरी नियत से हाथ पकड़ने एवं उसकी मारपीट करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी गौनाबाई द्वारा दिनांक : 14 / 11 / 2014 को दोपहर 03:00 बजे, थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपी नरेन्द्र के विरुद्ध अपराध क्रमांक 382 / 2014 अन्तर्गत धारा 456 एवं 354 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान फरियादी गौनाबाई के मेडीकल परीक्षण में चोट होने का उल्लेख होने से आरोपी के विरुद्ध धारा 323 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता गौनाबाई के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी गौनाबाई, साक्षी प्रेम सिंह, रणवीर सिंह, सरजूबाई एवं लच्छीराम के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त नरेन्द्र पर भा.द.सं. की धारा 354, 323 एवं 457 का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपी नरेन्द्र ने दिनांक :- 12/11/2014 को रात्रि लगभग 10:00 बजे फरियादिया गौनाबाई का नैवासिक भवन स्थित ग्राम सहरोली में, फरियादी गौनाबाई जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी गौनाबाई की मारपीट उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी गौना के नैवासिक गृह में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन किया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादिया गौनाबाई अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 09/08/2016 से लगभग डेढ़-दो साल पहले की रात्रि लगभग 10 बजे की उसके घर स्थित ग्राम सहरोली की है। घटना के समय उसका पति प्रेम सिंह खेत पर पानी देने गया था, वह घर पर अकेली थी। साक्षी आगे कहती है कि उसने घर का ताला अन्दर से बंद कर रखा था। अचानक उसे आवाज सुनाई दी, जिससे वह जाग गई, तो उसने अंधेरे में देखा कि एक व्यक्ति हाथ में कटार लिये हुये खड़ा था, जिससे वह डर गई। उस व्यक्ति ने उससे कहा कि उसे फरियादी गौनाबाई के साथ लेटना है। साक्षी आगे कहती है कि उसने उस व्यक्ति के हाथ से चाकू पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू कौन है? तो

वह व्यक्ति उसे धक्का देकर उसके घर की दीवाल कूदकर भाग गया, चाकू पकड़ने से उसके हाथ में लग गया और उसे चोट आई। साक्षी आगे कहती है कि घर में अंधेरा होने के कारण वह यह नहीं देख पाई थी कि वह व्यक्ति कौन था। स्वतः कहा कि डर के कारण एवं हड़बड़ी में उसने घर की लाईट भी नहीं जला पाई थी। उसके बाद वह दरवाजे का ताला खोलकर चिल्लाती हुई बाहर आई तो उसे पड़ोसी रणवीर पटेल मिला, उसने उसे बताया कि कोई व्यक्ति उसके घर में घुस आया था, जो बुरी नियत से उससे छेड़छाड़ करने के इरादे से घर में घुसा था, तो रणवीर पटेल ने उसे बताया कि उसने अभी-अभी गांव के नरेन्द्र गुर्जर को भागते हुए देखा है, शायद वहीं तुम्हारे घर में घुसा होगा। तत्पश्चात् रणवीर गुर्जर ने उसके पति प्रेम सिंह को घटना की खबर की और उसका पति प्रेम सिंह खेत से घर आया, तो उसने उसे घटना की जानकारी दी। उसके बाद वह एवं उसका पति घटना की रिपोर्ट करने दो दिन बाद थाना मौ गये थे, जहाँ उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसे मेडीकल परीक्षण हेतु चिकित्सालय भेजा था। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने न्यायालय के समक्ष उसका बयान कराया था, जिसमें उसने घटना की सभी जानकारी जज साहब को बता दी थी।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में गौनाबाई अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अंधेरे में घटना कारित करने वाले आरोपी को वह पहचान नहीं पाई थी। उसने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस वालों के बताये अनुसार उसके धारा 164 द.प्र.सं. के कथन प्र.पी.04 में घटना कारित करने वाले के रूप में आरोपी नरेन्द्र का नाम बताया था। गौनाबाई अ.सा.01 ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि घटना कारित करने वालों में आरोपी नरेन्द्र शामिल नहीं था। फरियादी गौनाबाई अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया कि उसे साक्षी रणवीर अ.सा.05 ने घटना के तत्काल पश्चात् उसे यह बताया था कि उसने अभी-अभी गांव के नरेन्द्र गुर्जर को भागते हुए देखा है, शायद वहीं तुम्हारे घर में घुसा होगा। जबकि रणवीर अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में गौनाबाई अ.सा.01 एवं रणवीर अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी गौनाबाई अ.सा.01 ने उसके घर में प्रवेश कर उसके साथ मारपीट एवं उसकी स्त्री सुलभ लज्जा को भंग करने वाले आरोपी के रूप में आरोपी नरेन्द्र गुर्जर की पहचान नहीं की है।

10. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में गौनाबाई अ.सा.01 ने यह बताया है कि घटना के बाद रणवीर गुर्जर अ.सा.05 ने उसके पति प्रेम सिंह अ.सा.02 को घटना की खबर दी थी और उसका पति प्रेम सिंह खेत से घर आ गया था। तब उसने पति को घटना की जानकारी दी थी। उसके बाद वह एवं उसका पति घटना की रिपोर्ट करने घटना के दो दिन बाद थाना मौ गये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में

गौनाबाई अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने हस्तगत घटना के दो दिन बाद लोगों के सिखाये जाने के बाद आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में गौनाबाई अ.सा.01 का कहना है कि उसके मामा मेघ सिंह घुरैया के घर पर ना होने के कारण उसने घटना के अगले दिन या घटना के तत्काल पश्चात् घटना की रिपोर्ट नहीं की थी और स्वतः कहा है कि मामा मेघ सिंह के आने के बाद रिपोर्ट की थी। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि यदि उसे रणवीर सिंह अ.सा.05 द्वारा भागने वाले व्यक्ति का नाम बताया गया हो तो उसने पति के साथ जाकर तत्काल थाने में जाकर रिपोर्ट की होती। साक्षी का आगे कहना है कि उसका पति प्रेम सिंह अ.सा.02 घटना वाली रात को ही घर पर आ गया था और उसने सारी बात पति को बता दी थी। इस प्रकार यदि घटना वाली रात में ही फरियादी गौनाबाई अ.सा.01 का पति प्रेम सिंह अ.सा.02 घर पर आ चुका था और फरियादी गौनाबाई ने उसे घटना के बारे में सब जानकारी दे दी थी। तब मात्र मामा मेघ सिंह के घर पर ना होने के कारण घटना की रिपोर्ट दिनांक : 14/11/2014 को घटना के दो दिन पश्चात् करने का कारण सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है और घटना की रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से किये जाने के कारण अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है। इस प्रकार फरियादी गौनाबाई अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01, धारा 164 द.प्र.सं. के कथन प्र.पी.04 तथा उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्य एक-दूसरे से विरोधाभासी प्रकृति के हैं।

11. अभियोजन साक्षी प्रेम सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक 09/08/2016 से लगभग डेढ़-दो साल पहले की रात्रि लगभग 10 बजे की उसके घर स्थित ग्राम सहरोली की है। घटना के समय वह खेत पर पानी देने गया हुआ था, उस समय उसकी पत्नी गौनाबाई घर पर अकेली थी। साक्षी आगे कहता है कि उसे हार में खबर मिली कि उसके घर में कोई व्यक्ति घुस आया है और उसने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की है। तब वह काम छोड़-छाड़ घर पहुँचा और उसकी पत्नी गौनाबाई से पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने उसे बताया कि वह सो रही थी, तभी उसे आहट हुई, जिससे वह जाग गई, तो उसने अंधेरे में देखा कि एक व्यक्ति हाथ में कटार लिए हुये खड़ा था और वह डर गई। साक्षी आगे कहता है कि उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उस व्यक्ति ने उससे कहा कि उसे उसकी पत्नी गौनाबाई के साथ लेटना है। तब उसकी पत्नी ने उस व्यक्ति के हाथ से चाकू पकड़ लिया और उसे धक्का दिया, जिससे चाकू से उसकी पत्नी की हाथ में चोट आई। उसके बाद वह आरोपी दीवाल कूदकर भाग गया था। साक्षी आगे कहता है कि उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि अंधेरा होने के कारण वह यह नहीं देख पाई थी कि वह व्यक्ति कौन था। उसकी पत्नी ने उसे यह भी बताया था कि उसके बाद वह दरवाजे का ताला खोलकर चिल्लाती हुई बाहर गई तो उसे पड़ोसी रणवीर पटेल मिला, उसने रणवीर को बताया कि कोई व्यक्ति उसके घर में घुस आया था, जो बुरी नियत से उसकी पत्नी से छेड़छाड़ करने के इरादे से घर में घुसा था, तो रणवीर पटेल ने उसकी पत्नी को बताया कि उसने अभी-अभी गांव के

नरेन्द्र गुर्जर को भागते हुए देखा है, शायद वहीं तुम्हारे घर में घुसा होगा। तत्पश्चात् वह एवं उसकी पत्नी ने रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने उसकी पत्नी को मेडीकल परीक्षण हेतु चिकित्सालय भेजा था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। प्रेम सिंह अ.सा.02 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर, मात्र अनुश्रुत साक्षी है। इसलिए प्रेम सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

12. साक्षी सरजू बाई अ.सा.04, रणवीर अ.सा.05 एवं लच्छीराम अ.सा.06 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी नरेन्द्र द्वारा दिनांक :- 12/11/2014 को रात्रि लगभग 10:00 बजे फरियादिया गौनाबाई का नैवासिक भवन स्थित ग्राम सहरौली में, फरियादी गौनाबाई जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने फरियादी गौनाबाई की मारपीट उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित करने एवं फरियादी गौना के नैवासिक गृह में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

13. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी नरेन्द्र ने दिनांक :- 12/11/2014 को रात्रि लगभग 10:00 बजे फरियादिया गौनाबाई का नैवासिक भवन स्थित ग्राम सहरौली में, फरियादी गौनाबाई जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया, फरियादी गौनाबाई की मारपीट उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी गौना के नैवासिक गृह में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन किया।

14. अभियोजन आरोपी नरेन्द्र पर धारा 354, 323 एवं 457 भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को 354, 323 एवं 457 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

15. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद